

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
बिलासपुर - 495009 (छ.ग.)
फ़ोन : 07752-260017 फ़ैक्स : 07752-260154
वेबसाइट : www.ggu.ac.in



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone 07752-260017, FAX : 07752-260154
Website : www.ggu.ac.in

क्र. 1929/प्रशा./स्था./2014,

बिलासपुर, दिनांक 17-11-14

आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1897/प्रशा./स्था./2014, दिनांक 13.11.2014 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में अध्यापकों के विशेष आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने के आवेदन पर विचार एवं स्वीकृति हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों के विशेष आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने के आवेदन पर विचार एवं स्वीकृति हेतु संबंधित संकायाध्यक्षों को अधिकृत किया जाता है तथा संकायाध्यक्षों के आवेदनों को पूर्वत कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक 17-11-14

पृ. क्र. 1929/प्रशा./स्था./2014,
प्रतिलिपि :-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाताओं की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ।
4. वित्तधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

upload in website
5/6/15

Muawar
सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

17-11-14
MB